(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 153/2021 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2021/227

1. रामकुमार पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. मान सिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

........................प्रार्थी

– ब ना म –

1. भगोताराम उर्फ भगवन्ता दत्तक पुत्र चन्द्रा व प्राकृतिक पिता रिछपाल जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. अशोक पुत्र दयाकौर दोहिता गोरधन जाति जाट निवासी मानौता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. नीतु पुत्री दयाकौर दोहिता गोरधन पत्नी प्रदीप जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तन छउ तहसील उदयपुरवादी जिला झुंझुनूं राज0
4. अंजु पुत्री दयाकौर दोहिता गोरधन पत्नी विकास जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तन छउ तहसील उदयपुरवादी जिला झुंझुनूं राज0
5. सुबेसिंह पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. मदनलाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
7. हजारी लाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
8. सरोज पुत्री गोरधन पत्नी कपिल जाति जाट निवासी भड़ोंदा कंला तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)
9. भरत सिंह
10. जयसिंह पुत्रान रामेश्वर नवीरा चेतराम
11. प्रमीला पत्नी सत्यवीर पुत्र वधु रामेश्वर
12. सुमित पुत्र सत्यवीर नवीरा रामेश्वर
13. कुन्दन पुत्र सत्यवीर नवीरा रामेश्वर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती प्रमिला पत्नी सत्यवीर जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

...........................अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.09 12:14:46 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र बाबत

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

-: निर्णय :-

दिनांक :- 30/7/24

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 143 के ख0 न0 243 रकबा 3.31 है0, अनावेदक सं0 1 व 2 का प्रत्येक का 1/2, 1/2 भाग के खातेदार दर्ज रिकार्ड है अनावेदकगण ने ख0 न0 243 में उत्तरी सीमा की और अपने रिहायशी मकान बनाकर आबाद है जहा आवेदकगण के परिवार सहित आबाद है तथा अपने पशु आदि भी अपने रिहायशी मकानात के पास ही रखते है।
2. यह कि वाके ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 97 के ख0 न0 244 रकबा 0.71 है0, ख0 न0 245 रकबा 1.00 है0, ख0 न0 247 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 248 रकबा 1.29 है0, ख0 न0 249 रकबा 1.10 है0, ख0 न0 278 रकबा 1.04 है0, ख0 न0 88 रकबा 0.68 है0, ख0 न0 89 रकबा 0.69 है0, ख0 न0 90 रकबा 1.47 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 8.02 है0, में अनावेदक संख्या 1 का 1/2 भाग दर्ज रिकार्ड है जो उसके दत्तक पिता स्व0 चन्द्रा से प्राप्त हुआ है तथा 1/8 भाग उसे अपने पिता स्व रिछपाल से प्राप्त हुआ है तथा उसके नाम 5/8 भाग दर्ज रिकार्ड है तथा अनावेदक संख्या 2 लगायत 4 की माता श्रीमती दयाकौर का 1/40 भाग दर्ज रिकार्ड है उक्त दयाकौर का देहान्त हो चुका है जिसके उतराधिकारी अना0 संख्या 2 लगायत 4 है जिन्हे पक्षकार बनाया है अनावेदक संख्या 5 लगायत 8 का प्रत्येक का 1/40 भाग दर्ज रिकार्ड है तथा अनावेदक संख्या 9 लगायत 13 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 रामेश्वर का हिस्सा 1/8 भाग तथा अनावेदक संख्या 9 लगायत 13 के ही हकपूर्वाधिकारी सावंल का हिस्सा 1/8 भाग दर्ज रिकार्ड है सावंलराम पुत्र चेतराम का कई वर्ष पूर्व अविवाहित नाऔलाद अवस्था में निधन हो गया था जिसके कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त सावंलराम का हिस्सा 1/8 अनावेदक संख्या 9 लगायत 13 को हि प्राप्त हो गया है इस खण्ड में वर्णित भूमि का अनावेदक संख्या 1 लगायत 13 ने आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उक्त बाहमी बंटवारे में अनावेदक संख्या 1 के हिस्से में भूमि हाल ख0 न0 248 रकबा 1.29 है0, आई हुई है जिसमें अनावेदक संख्या 1 ने ख0 न0 247 में अपने रिहायसी मकानात बनाकर आबाद है।
3. यह कि आवेदकगण व अनावेदकगण एक ही पूर्वज के वंशज है इस प्रकार आवेदकगण व अनावेदकगण के पूर्वजों ने एक सामलाती कूप बनाकर विधुत कनेक्शन लेकर उक्त कुप का बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहे है उक्त कूप का हाल ख0 न0 242 दर्ज रिकार्ड है जो आवेदकगण तथा अनावेदकगण या उनके पूर्वजो के नाम दर्ज रिकार्ड है जो वर्तमान में भी आवेदकगण तथा अनावेदकगण संख्या 1 सीर सांझे में ही उपयोग उपभोग कर रहे है आवेदक पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस ग्राम रायपुर जाटान के अनुसार एक सड़क ग्राम रायपुर जाटान के पास से ग्राम ढाढोत ... स्थित है जो ख0 न0 248 की दक्षिणी पूर्वी कोने से सटती हुई स्थित है तथा उक्त सड़क ग्राम रायपुर जाटान के पास से ग्राम ढाढोत तक जाने वाली सड़क ... के खेत ख0 न0 248 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:14:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पूर्वी सीवं के साथ साथ उत्तर दक्षिण 13 फुट चौड़ाई में रास्ता आवेदकगण के खेत ख0 न0 243 तक लगभग 100 वर्षो से प्रचलित रूप में स्थित है जिसमें आवेदकगण अपने खेत ख0 न0 243 में व उक्त खेत में बने मकानात तक बिना किसी बाधा के अपने पूर्वजो के समय से आवागमन हेतु उपयोग उपभोग करते है लेकिन गत माह से अनावेदकगण आवेदकगण के खेत ख0 न0 248 में बने रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है फिर भी आवेदकगण ख0 न0 248 में बने प्रचलित रास्ते को अपने खेत ख0 न0 243 व मकानात तक आवागमन हेतु 13 फिट चौड़ाई में रास्ता दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसके बदले आवेदकगण अनावेदकगण की जो भी भूमि ख0 न0 248 में से जाती है उतनी भूमि आवेदकगण अपनी भूमि में से देने के लिए तैयार है या अनावेदकगण को डी.एल.सी. रेट के रूप्ये भी आवेदकगण अनावेदकगण को अदा करने के लिए तैयार है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि ग्राम रायपुर जाटान तहसील बुहाना में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल ख0 न0 243 व उसमें बने आवेदकगण के रियायशी मकानात के लिए अनावेदकगण के सामलाती खातेदारी के खेत ख0 न0 248 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे जो गत 100 वर्षो से प्रचलित रास्ता भी है को 4 मीटर चौड़ाई आम सड़क रायपुर जाटान से ढाढोत जाने वाली तक रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। रास्ता के काम आने वाली आम रास्ते वाले रकबे की डी.एल.सी. के दर की दुगुनी राशि अनावेदकगण को भुगतान करने को आवेदकगण तैयार है।

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 की और से श्री रामस्वरूप यादव एड द्वारा जवाब पेश किया गया है।

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 547 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1084 दिनांक 16.05.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) ग्राम रायपुर जाटान ख0 न0 243 में वादीगण के मकानात व कुआ बनाकर निवास करते है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है

(2) वादीगण ख0 न0 248 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता लेना चाहते है। जो कि नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

(3) यह कि ख0 न0 248 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिणी से उत्तरी सीमा तक लम्बाई 60 मीटर व चौड़ाई 04 मीटर प्रस्तावित है।

(4) प्रस्तावित रास्ता ख0 न0 248 की दक्षिणी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे जाने वाले आम रास्ते ग्राम रायपुर जाटान से ग्राम ढाढोत को जाता है से जुड़ा हुआ है।

(5) नजरी के नक्शा के साथ प्रस्तावित रास्ते का नापः– (1) खसरा नम्बर 248 (जो निकटतम एवं लघुतम है का मूल्य) जो सिचिंत है। रास्ते का क्षेत्रफल (60 मीटर X 4 मीटर) 240 वर्ग मीटर, (2) [illegible] का निर्माण नही है।

बहस सुनी गई। पत्रावली [illegible] प्रस्तुतविजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर [illegible] आवेदकगण ने ख0 न0 243 हेतु रास्ता अप्रार्थी के ख0 न0 248 में से होकर चाहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:14:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, बहस व जवाब के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

बहस, अप्रार्थी के जवाब व तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को स्वयं के ख0 न0 243 में जाने हेतु प्रचलित रास्ते से ख0 न0 248 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे सम्पूर्ण लम्बाई 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है। प्रार्थी डी.एल.सी. के दुगने राशि अप्रार्थी को चुकावे तहसीलदार राशि की गणना 15 दिवस में करे। रास्ता गैर मुमकिन दर्ज होगा जो सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा।

आदेश

"न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायपुर जाटान में स्थित भूमि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, बहस व जवाब के आधार पर प्रार्थी को स्वयं के ख0 न0 243 में जाने हेतु प्रचलित रास्ते से ख0 न0 248 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे सम्पूर्ण लम्बाई 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है। जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसको रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श —"अ" के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी डी.एल.सी. के दुगने राशि अप्रार्थी को चुकावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श —"अ" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे"।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:14:46 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना